न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः सुश्री अंजु शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 13/2024

उनवान

गेबा पिता थावरा, जाति भील, निवारी खेड़ा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति अनीता पत्नि ताराचन्द, जाति लबाना, निवासी भीमसौर, तहसील गढ़ी।
2. श्रीमती भावना पत्नी लक्ष्मीचन्द, जाति लबाना, निवासी भीमसौर, तहसील गढ़ी।
3. तहसीलदार गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 25.7.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मोती के नाम से नियमानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2004 में गांव खेड़ा का मूल सर्वे नम्बर 3290 में से 0.08 एयर भूमि दिनांक 26.12.2004 को आवंटन हुई थी एवं इसी सर्वे नम्बर की भूमि में से 0.08 एयर भूमि राजस्व अभियान 2008 दिनांक 03.01.2008 में आवंटन हुई है। इस प्रकार नियमानुसार उक्त भूमि का आवंटन होने पर प्रार्थी की पत्नी व परिवार संयुक्त रुप से उक्त भूमि पर काबिज होकर शांतिपूर्ण काश्त करते आ रहे है एवं आज भी उक्त भूमि पर कब्जा है। उक्त दोनों आवंटन किये गये सर्वे नम्बर का मूल सर्वे नम्बर 3290 था, जिसके वर्तमान में नये सर्वे नम्बर बने है जो कि 5462/3290 रकबा 0.08 हे0 जिसका खाता संख्या नई 386, पुरानी 552 एवं सर्वे नम्बर 5418/3290 रकबा 0.08 हे0 जिसका खाता संख्या नई 385, पुरानी 332 है। अप्रार्थीगण भी उक्त मूल सर्वे नम्बर 3290 के कुछ भाग के खातेदार कृषक है जिसमें अप्रार्थी सं. 1 श्रीमती अनिता के खाते का नया सर्वे नम्बर 5416/3290 रकबा 0.08 हे0 व सर्वे नम्बर 5464/3290 रकबा 0.24 हे0 खाते में दर्ज रेकॉर्ड है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 श्रीमती भावना के खाते के नये सर्वे नम्बर 5421/3290 रकबा 0.08 हे0 भूमि दर्ज रेकॉर्ड है एवं प्रार्थी की पत्नी को जो भूमि आवंटित हुई है जहां प्रार्थी व उसका परिवार बैठा है वहां पैमुदगी नही करते हुए भूमि के कुछ भाग को अप्रार्थीगण के खाते की भूमि में नक्शे में सेहवन से गलत पैमुदगी कर दी गई है। इस प्रकार प्रार्थी के आंवटन की गई भूमि के कुछ भाग की भूमि गलत तरिके से अप्रार्थीगण की भूमि के नक्शे में पैमुदगी कर दी गई है। आवंटनधारी श्रीमती मोती की मृत्यु होने पर प्रार्थी के नाम जरिये मुटेशन संख्या 1176 दिनांक 12.9.2020 में प्रार्थी के नाम खाता दर्ज रेकॉर्ड हुआ है। प्रार्थी की पत्नी को आंवटन किये गये उक्त दोनों सर्वे नम्बर की भूमि को आवंटन के वक्त कब्जेनुसार उसी स्थान पर पैमुदगी नही कर अन्य स्थान पर पैमुदगी कर दी गई है अर्थात् अप्रार्थीगण के उक्त बताये सर्वे नम्बर की भूमि में नक्शे में पैमुदगी कर दी गई है एवं जहां अप्रार्थीगण के सर्वे नम्बर जहां प्रार्थी के सर्वे नम्बर की पैमुंदगी करनी थी वह अप्रार्थीगण के सर्वे नम्बर की भूमि के नक्शे में पैमुदगी कर दी गई है। जिस पर दोनों पक्षों में विवाद होने से राजस्व कर्मचारी, पटवारी, गिरदावर को उक्त गलत पैमुदगी के [illegible] करवाया तो राजस्व कर्मचारियों ने जांच कर उन्होनें भी यह बताया कि [illegible] कब्जेनुसार नक्शे में पैमुदगी नही कर एक,—दूसरे के नम्बरों को एक दूसरे के कब्जे पर पै[illegible] सेहवन से कर दी गई है। नक्शे में पैमुदगी के शुद्धिकरण के लिये प्रार्थना पत्र एस.डी.ओ. कोर्ट में पेश करना होगा। उनके क्षेत्राधिकार का ही काम है। इस हेतु नक्शे में सही पैमुदगी हेतु शुद्धिकरण के लिये माननीय एस.डी.ओ. कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करना पडेगा और उन्ही के आदेश से ही मौके की स्थिति के अनुसार और जहां प्रार्थी बैठा है, उसी स्थान की पैमुदगी की जा सकती है। जिस पर प्रार्थी आप न्यायालय में जो भूमि पर उसका कब्जा था और वही भूमि राज्य सरकार ने आवंटित की है, उसको सही स्थान पर पैमुदगी किये जाने हेतु प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.07.26 15:42:49 IST
Reason: SelfAttested

एक्ट के तहत पेश करने की आवश्यकता हुई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से सम्पर्क किया गया तो अप्रार्थीगण भी इस बात से सहमत है कि, नक्शे में पैमुदगी में कुछ गलती हुई है, इस कारण विवाद उत्पन्न हुआ है एवं उक्त गलत पैमुदगी के कारण हुए विवाद के निस्तारण हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र नक्शे में सही जगह पैमुदगी कर इस आशय की शुद्धिकरण कर नक्शे में सही पैमुदगी अमल दरामद करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री शम्भुलाल खांट, अभिभाषक का वकालतनामा पैश होकर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से लिखित सहमति प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकारं किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 03 भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि "प्रार्थी गेबा पिता थावरा भील निवासी खेड़ा के आराजी नम्बर 5462/3290 रकबा 0.08 हे0, आराजी नम्बर 5418/3290 रकबा 0.08 हे0 भूमि का वर्ष 2004 व 2008 में आवंटन होकर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के आराजी नम्बर 3290 में से आराजी नंम्बर 5462/3290 रकबा 0.08 हे0, आराजी नम्बर 5418/3290 रकबा 0.08 हे0 कुल रकबा 0.16 हे0 भूमि पर काबिज होकर काश्त की जा रही है। प्रार्थी के आराजी से लगती हुई भूमि अप्रार्थीगण अनीता पत्नि ताराचन्द, भावना पत्नि लक्ष्मीचन्द जाति लबाना के आराजी नम्बर 5416/3290 रकबा 0.08 हे0 व आराजी नम्बर 5464/3290 रकबा 0.24 हे0 तथा भावना पत्नि लक्ष्मीचन्द जाति लबाना निवासी भीमसौर कि भूमि पूर्व दिशा में मौके पर स्थित है। प्रार्थी गेबा पिता थावरा जाति भील निवासी खेड़ा के आराजी नम्बर 5462/3290 रकबा 0.08 हे0 व 5418/3290 रकबा 0.08 हे0 व अप्रार्थीगण अनीता पत्नि ताराचन्द के आराजी नम्बर 5416/3290 रकबा 0.08 हे0 व 5464/3290 रकबा 0.24 हे0 तथा भावना पत्नि लक्ष्मीचन्द लबाना के आराजी नम्बर 5417/3290 रकबा 0.08 हे0 के हाल राजस्व लठ्ठ नक्शे व मौके पर काबिज स्थिति अनुसार हाल नक्शे में तरमीम गलत दर्शाई गई है। अप्रार्थीगण अनिता पत्नि ताराचन्द लबाना निवासी भीमसौर के आराजी नम्बर 5416/3290 रकबा 0.08 हे0 व आराजी नम्बर 5464/3290 रकबा 0.24 हे0 व भावनी पत्नि लक्ष्मीचन्द लबाना निवासी भीमसौर के आराजी नम्बर 5417/3290 रकबा 0.08 हे0 किस्म–आवासीय आबादी दर्ज है। प्रार्थी गेबा कि भूमि से हटाकर मौके पर कब्जे अनुसार उनकी भूमि में तरमीम तथा प्रार्थी गेबा पिता थावरा के हाल व मौका कब्जा अनुसार व प्रस्तावित नवीन ट्रेस नक्शा अनुसार आराजी नम्बर 5462/3290 व आराजी नम्बर 5418/3290 कि सही तरमीम करना उचित है। प्रस्तावित नवीन तरमीम का नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौका अनुसार तरमीम के लिए सहमत होना" अवगत कराया जाकर हाल मौके अनुसार नक्शें में तरमीम की अनुशंसा की गई।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, संलग्नं अभिलेख तथा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एंव भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट, प्रस्तावित नवीन नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अनिता पत्नि ताराचन्दं लबाना निवासी भीमसौर के आराजी नम्बर 5416/3290 रकबा 0.08 हे0 व आराजी नम्बर 5464/3290 रकबा 0.24 हे0 व भावना पत्नि लक्ष्मीचन्द लबाना निवासी भीमसौर के आराजी नम्बर 5417/3290 रकबा 0.08 हे0 किस्म–आवासीय आबादी दर्ज है जिसे प्रार्थी गेबा की भूमि से हटाकर मौके पर कब्जे अनुसार उनकी भूमि में तरमीम करने तथा प्रार्थी गेबा पिता थावरा के हाल व मौका कब्जा अनुसार तथा नवीन प्रस्तावित नक्षा ट्रेस अनुसार पटवार हल्का खेड़ा के मौजा खेड़ा के सर्वे नम्बर 5462/3290 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 5418/3290 रकबा 0.08 हे0 भूमि की तरमीम करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.7.2024 को जारी किया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.07.26 15:42:49 IST
Reason: SelfAttested

25.7.24

पत्रावली आज पेश हुई। भावी प्रक्रियात्मक उपस्थित प्रकरण में पृथक से कार्यवाही कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

T.D.R. की रिपोर्ट से सहमत
वकील प्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.07.26 15:42:49 IST
Reason: SelfAttested